



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2687]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2014/पौष 10, 1936

No. 2687]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2014/PAUSHA 10, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3326(अ).—श्रम विधि (विवरणी देने और राजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन अधिनियम, 2014 (2014 का 30) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 01 जनवरी, 2015 को उक्त अधिनियम के लागू होने की तारीख के रूप में नियत करती है।

[जैड-20025/1/2012-समन्वय (खण्ड-III)]

धीरज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2014

S.O. 3326(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by certain Establishments) Amendment Act, 2014 (30 of 2014), the Central Government hereby appoints the 1st day of January, 2015 as the date on which the said Act shall come into force.

[Z- 20025/1/2012-Coord (Vol. III)]

DHEERAJ KUMAR, Jt. Secy.